<u>उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर</u>

// <u>आदेश</u> //

क्रमांक A/3589/ जबलपुर, दिनांक : 10/05/2024

श्री महेन्द्र सिंह नेगी आत्मज स्व. श्री अनिल नेगी को कोर्ट अटेंडेन्ट/अटेंडेन्ट/रूम अटेंडेन्ट के पद पर 7 वे वेतनमान में लेवल 1 पे मेट्रीक्स 15500–49000 (रूपये 4440–7440 + ग्रेड पे रू. 1300/– छठवें वेतनमान) में नियमानुसार समय–समय पर देय भत्तों सहित 2 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित शर्तों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते हुये उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता है :–

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रृद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक उन्हें किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है, और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियॉं दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो उनकी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा उनके विरूद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो उन्हें स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व उनका होगा।
3. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूलप्रतियों को लेकर उपस्थित होंगी। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि वे अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करती है तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा ।

....2....

4. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
5. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के अग्रिम अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
6. यह कि उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेंगी।
7. यह कि उनकी नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि उन्हें अपनी स्वास्थ्यता का प्रमाण–पत्र जो कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्यता प्रमाण–पत्र विपरीत पाये जाने पर कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जावेगी।
8. कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें मुख्यपीठ जबलपुर/खंडपीठ इंदौर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा।
9. कर्मचारी को समय–समय पर पारित हिदायतों का कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन करना होगा।
10. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
11. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे।
12. यह कि उपरोक्त कर्मचारी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 3590 /
जबलपुर, दिनांक 20/05/2024

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.),

2. रजिस्ट्रार प्रशासन/पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
5. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(एम) (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना/प्रोटोकाल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
8. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(न्यायिक),लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
10. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार न्यायिक महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
13. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. श्री महेन्द्र सिंह नेगी आत्मज स्व. श्री अनिल नेगी, ए–2 सी.आर.पी. लाईन, एम.जी.एम. कॉलेज, इन्दौर (म.प्र.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)